



294

मामूल:- सामनीय राजस्व बल्द ग्रालिशर केणा सामग्र

1. राजस्व बल्द प्रणाली दरज्जा लोधी

R 4084-I-16

20 दुलीचंद फौत नारिया

2. पूरम बल्द दुलीचंद लोधी

3. बिहारी बल्द दुलीचंद लोधी

4. चतारा बल्द भोहन लोधी

5. फुले बल्द सोहन लोधी

35-U-16 लोधी बिहारी-शास बड़ाखेरा पुट्टारी तहसील बड़ाखलहरा जिला छतरपुर
... पुनरीक्षणकर्तार्गण

11 विश्व 11

1. जगरथ सींग बल्द पृथ्वी सींग ठाकुर

2. रतिशाल बल्द मुन्ना लोधी

3. छन्दुआन बल्द रज्जू लोधी

4. आकिंद बल्द रज्जू लोधी

साथी बिहारी-शास बड़ाखेरा पुट्टारी तहसील बड़ाखलहरा जिला छतरपुर

... उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प. भ. रा. संहिता

पुनरीक्षणकर्तार्गण निम्न प्रार्थना करते हैं:-

पुनरीक्षणकर्तार्गण ने यह पुनरीक्षण यानीय अनुचिभागीय अधिकारी Q110 बड़ाखलहरा जिला छतरपुर द्वारा राजस्व अपील प्राप्त 1233/13-14 में पारित आदेश दिनांक 6. 10. 16 से परिवेदित होकर निम्न आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है।

11 पुनरीक्षण केआधार 11

1. यह कि, यानीय अनुचिभागीय अधिकारी बड़ाखलहरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 6. 10. 16 से ०३०४०० गत आधारहीन एवं अधिक विश्व होने से गिरस्त किये जाने चाहय है।

2. यह कि, पुनरीक्षणकर्तार्गण द्वारा यानीय अनुचिभागीय अधिकारी के यस्य दिनांक 15. 2. 15 को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया था कि इस आदेश से संबंधित तिविल रिवीजन नं. 318/15

... 2

16/3/2016
प्रति नियम

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 4084-एक/2016 निगरानी

जिला छतरपुर

शासन तथा

दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अगि

आदि के हस्ता.

३१.१०.१७

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बड़ामहलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 123 /2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-10-16 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी की ग्राहयता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि वादग्रस्त जमीन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 3-9-15 को स्थगन जारी हुआ है जिसके प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी बड़ामहलहरा से आग्रह किया गया था कि वह मान.उच्च न्यायालय के आदेश के कारण प्रकरण की कार्यवाही रोक दें, किन्तु उन्होंने ऐसा न करते हुये प्रकरण साक्ष्य में नियत करने की भूल की है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी बड़ामहलहरा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 123 /2014-15 अपील में पारित अंतिम आदेश दिनांक 6-10-16 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 9-9-16 को प्रकरण में अंतिम तर्क सुनकर आदेश हेतु नियत किया था किन्तु मामला कब्जे के विवाद का संज्ञान में आने के कारण उन्होंने प्रकरण में उभय पक्ष की साक्ष्य लेना उचित समझा है। जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने का प्रश्न है ? माननीय उच्च न्यायालय

प्र.क. 4084-एक/2016 निगरानी

के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके कारण आवेदक माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी बड़ामहलहरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 123 /2014-15 अप्रैल में की जा रही कार्यवाही में हरतक्षेप करने का औचित्य नहीं है। परिणाम-स्वरूप निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।



सदस्य

P
2/4